राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2077/2025

श्रीमती रेणु बाला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोहर, जिला हनुमानगढ़।
4. राकेश दीक्षित, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोनडी, पंचायत समिति नोहर, हनुमानगढ स्थानांतरणाधीन ग्राम पंचायत दीपलाना, पंचायत समिति नोहर, हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2025
आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से **:** श्री जे.आर. चौधरी, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत दीपलाना, पंचायत समिति नोहर, हनुमानगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका स्थानान्तरण आलोच्य आदेश क्रमांक 5330 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत दीपलाना से आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया और आदेश क्रमांक 5342 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति, नोहर से ग्राम पंचायत, ननाउ पदस्थापित किया गया है। उनका

कथन है कि जो पदस्थापन किया गया है, उसमें जिला परिषद की स्थायी स्थापना समिति के बिना प्रस्ताव पारित किये स्थानांतरण किया जाना नियम विरूद्ध है। जबकि जिला परिषद, हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपीलार्थी का कोई स्थानांतरण नहीं किया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि जिला परिषद, हनुमानगढ ने आदेश दिनांक 15.01.2025 के चलते श्री शिव कुमार को ग्राम पंचायत ननाउ, पंचायत समिति, नोहर से ग्राम पंचायत रामगढ, पंचायत समिति, नोहर अन्यत्र स्थानांतरण किया है, जिसके कारण पद रिक्त हुआ है और अपीलार्थी पूर्व में ग्राम पंचायत, दीपलाना में कार्यरत था, जिसके कारण निजी प्रत्यर्थी श्री राकेश दीक्षित को ग्राम पंचायत, दीपलाना पदस्थापित किया गया और हम यह भी पाते हैं कि प्रशासनिक एवं स्थायी स्थापना समिति की बैठक के पश्चात् दिनांक 15.01.2025 कार्यालय पंचायत समिति, नोहर के द्वारा अपीलार्थी को पद रिक्त होने पर उसे ग्राम पंचायत, ननाउ पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के स्थानांतरण में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष